राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता की भाषा हिन्दी

प्रो0 वीरेन्द्र सिंह यादव,

प्रोफेसर–हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ,उ.प्र.

शोध सारांश

राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक रूप ये किसी भी भाषा के विश्व भाषा बनने के लिए प्रमुखतःतीन बातें आवश्यक होती हैं, एक तो बोलने–समझने वालों का विस्तृत भौगोलिक विवरण, दूसरा उस भाषा में लचीलापन और तीसरा उस भाषा में विश्वजन का भाव हो। हिन्दी में ये तीनों विशेषताएँ विद्यमान हैं। भौगोलिक दृष्टि से वह अपना स्थान विश्व में बना रही है, हिन्दी को बोलने समझने वाले प्रयोक्ता द्विभाषी या त्रिभाषी होते हुए भी हिंदी में अपनी पहचान बना पाते हैं।– दूसरी विशेषता लचीला होना है। हिन्दी जिसमें अन्य भारतीय भाषा–भाषियों के बीच संपर्क की भाषा है वहीं उसने फारसी, अरबी,अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द भी अपनाए और अपनी स्थिति को भी अक्षुण्ण रखा। दूसरे शब्दों में हिंदी की अस्मिता दीवारों में भी प्रखर रही है। तीसरी विशेषता– हम हिंदी की विश्व जन की भाव से समझते हैं अर्थात हिंदी भाषी अपने देश में अनेक राज्यों में निवास करने के कारण प्रांतीयता से ऊपर उठे हुए हैं। ऐसे में साहित्य की विशाल परंपरा है जो विश्वमन को संबोधित है।

बीज शब्द– *राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, एकता की भाषा हिन्दी, वैश्वीकरण और बाजारवाद।*

आज हिन्दी का जिस तेजी से विस्तार हो रहा है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अब हिन्दी को केवल साहित्य तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। अब हिन्दी को न केवल समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इतिहास तथा अर्थशास्त्र से जोड़ना आवश्यक है अपितु ज्ञान–विज्ञान की अधुनातन चुनौतियों–कम्प्यूटर, इण्टरनेट, ई–मेल, सूचना प्रौद्योगिकी,भाषा प्रौद्योगिकी अनेक पाठ्यक्रमों तथा भाषा–प्रबंधन से भी हिन्दी का आधुनिकीकरण होना आवश्यक एवं जरूरी है।

आर्थिक उदारीकरण तथा मुक्त विश्व व्यापार प्रणाली के कारण आज बड़ी तेजी से हिन्दी का वैश्वीकरण हो रहा है। हिन्दी ने अपनी उदारता के कारण वैश्विक भाषाओं के शब्दों को न केवल आत्मसात किया है अपितु उन्हें फलने– फूलने का प्रश्रय भी प्रदान किया है। हिन्दी के माध्यम से विश्व के लोगों को भारतीय संस्कृति से परिचित होने का अवसर मिल रहा है। अब हमें यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि हिन्दी वैश्विक भाषा है। भूमण्डलीकरण के इस दौर में हिन्दी जिन रूपों में उभरकर सामने आ रही है उसे इस प्रकार देखा जा सकता है :–साहित्यिक सर्जनात्मक हिन्दी,राजकाज संबंधी–कार्यालयी हिन्दी,राजकाज संबंधी–कार्यालयी हिन्दी,संपर्क भाषा के रूप में बोलचाल की हिन्दी,तकनीकी एवं वैज्ञानिक लेखन की हिन्दी,पत्रकारिता एवं जनसंचार माध्यमों की हिन्दी,उद्योग–व्यापार की हिन्दी।

भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हिन्दी के विकास को रेखांकित करते हुए हिन्दी दिवस के अवसर पर कहा था

कि–आज हिन्दी विश्वभाषा बन चुकी है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आज हिन्दी को विश्व भर में तेजी से फैलाने में सूचना प्रौद्योगिकी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यदि बोलने के लिहाज से देखे तो दुनिया में चीन की मंडारिन अंग्रेजी के बाद हिन्दी दुनिया की तीसरी भाषा है। हिन्दी के भाषिक क्षमता इतनी ज्यादा है कि वह आसानी से विश्वभाषा बन सकती है। अंग्रेजी सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका ;ैद्ध ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, कनाडा में बोलने वाली भाषा है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी भाषा नहीं माना जा सकता है। ब्रिटेन के वेल्स, स्कारिथ व आयरिश भाषाओं का अंग्रेजी से काफी संघर्ष रहा है, इन भाषाओं ने लम्बे समय के संघर्ष के बाद अपना अस्तित्व कायम किया है। ब्रिटिश शासक लार्ड मैकाले कृत्य कूटनीति के तहत हमारे ऊपर थोपी गयी अंग्रेजी भाषा से मुक्ति पाने के लिये हिन्दी भाषा के प्रयोग को मौखिक स्तर पर संचालित कर इसे प्रतिष्ठित करने का प्रयास करना होगा तभी हिन्दी दिवस की सार्थकता सही मायने में प्रमाणित होगी।

हमें यह कहने पर जरा भी संकोच नही है कि आजादी के बाद आज भी भारतीय उच्चतम न्यायालय में बहस व फैसले हिन्दी में नही होते, संसद में कानून हिन्दी में नही बनते, सरकार के मूल नीति दस्तावेज हिन्दी में नही बनते, संघ लोक सेवा आयोग के पर्चे, डाक्टरी, इंजीनियरिंग, रसायन, भौतिकी, विदेश नीति, कानून आदि का उच्च अध्ययन हिन्दी में नहीं होता। प्रश्न यह है कि क्या ऐसे कार्य हिन्दी में करना संभव नही है या उच्च शासन स्तर पर ऐसी कोई नीति हिन्दी में कार्य करने में बाधा है या अफसरशाही की प्रबल इच्छा, का पारितोषिक है। सभी जनमानस को इस पर मंथन/चिंतन अवश्य करना होगा। आज देश में भाषा का परिदृश्य कैसा है अंग्रेजी मालकिन कुर्सी पर बैठी है और हिन्दी नौकरानी उसके चरणों में लेटी है। नौकरशाही की भाषा अंग्रेजी है राजनेताओं में इतनी हिम्मत एवं दम कहाँ है कि वे नौकरशाही को जनमानस के अनुरुप क्रियान्वित करा पायें चूँकि नौकरशाहों को पता है कि यदि पूरा राजकाज हिन्दी में चलने लगेगा तो देश में नौकरशाही के स्थान पर लोकशाही स्थापित हो जायेगी। उनका जादू–टोना/करिश्मा प्रभावहीन हो जायेगा। इसलिये वे केवल वर्ष में एक दिन, प्रशासन के समक्ष, जनता के समक्ष हिन्दी दिवस को मानकर अपने समर्पण को प्रतिविम्बित करने का खुला प्रयास कर हिन्दी के प्रति आपनी कोरी आस्था प्रकट करते हैं, जोकि स्थायी नहीं होती है।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी का कहना था कि 'मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बन पाया क्योंकि मैने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की थी।' भाषाओं की दृष्टि से भारत अत्यन्त समृद्ध है। 'वर्ष सन् 1961ई0 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 भाषाएँ बोली जाती थीं। सन् 1971 ई0 के आते–आते यह आँकड़ा 808 रह गया। पीपुल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सन् 2013ई0 के अनुसार पिछले 50 वर्षों में 220 से अधिक भारतीय भाषाओं को खो दिया गया है और 197 और भाषाएँ लुप्तप्रायः होने के कगार पर हैं।' इस स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए शिक्षा–संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव श्री अतुल कोठारी जी का कहना है कि– ''भारत जैसे देश में जहाँ ज्ञान परम्परा मुख्य रूप से पीढ़ी–दर–पीढ़ी मौखिक ही चलती आई है, यहाँ लेखन प्रणाली के अभाव में भाषा के रूप में गणना नहीं करना देश की सांस्कृतिक–ऐतिहासिक वास्तविकताओं से परे है।'' चूँकि भाषा समाज संचालन के लिए अपरिहार्य होती है और लोगों को दुनिया देखने का नजरिया भी प्रदान करती है। स्वभाषा प्रयोग की महत्ता बताते हुए प्रो0 गिरीश्वर मिश्र कहते हैं कि ''अपनी भाषा के प्रयोग का अवसर यदि किसी व्यक्ति, समुदाय और समाज को सशक्त बनाता है

तो इससे वंचित करना उस समाज को कई तरह से विपन्न भी बना देता है। यह सिलसिला लम्बा चले तो समाज को असमर्थ बना देता है। इस तरह भाषायी भेदभाव, आर्थिक–सामाजिक शोषण का एक सभ्य और सेक्युलर तरीका बन जाता है जिसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दूरगामी परिणाम होते हैं। भाषा की गुलामी के परिणाम पीढ़ी–दर–पीढ़ी संक्रमित होकर आगे चलते रहते हैं।''

वर्तमान स्थितियों को दृष्टिगत यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमारे देश की भाषायी परतंत्रता का अन्त हो और एक समृद्ध भारतीय भाषा को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया जाय। संविधान में दर्ज 22 भाषाओं में से एक हिन्दी ही ऐसी है जिसमें यह सामर्थ्य है किन्तु जिस देश के करोड़ों लोग अंग्रेजी परतंत्रता से मुक्ति के लिए प्राणपण से तैयार थे, वहीं अंग्रेजी को हटाकर, हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने के संकल्प पर मौन रह जाते हैं या काल्पनिक आशंकाएँ प्रकट करने लगते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिन्दी के लिए निर्देश दिये गये हैं जिसके अनुच्छेद 343 के खण्ड (1) में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी को संघ की राजभाषा कहा गया है। साथ ही आम सहमति न होने के कारण प्रारम्भ के 15 वर्षों तक अंग्रेजी शासकीय कार्यों में प्रयोग की जाती रहेगी और 15 वर्षों के बाद हिन्दी के साथ अंग्रेजी का कितना और किन–किन प्रयोजनों के लिए उपयोग होगा, इसका निश्चय संसद करेगी, ऐसा कहा गया। आज अपने प्रयोग के आधार पर हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त कर चुकी है किन्तु सैद्धान्तिक स्तर पर इसे यह दर्जा अभी भी नहीं मिला है।

महात्मा गाँधी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की मुम्बई की एक सभा में कहा था कि ''जिस राष्ट्र ने अपनी भाषा का अनादर किया, उस राष्ट्र के लोग अपनी राष्ट्रीयता खो बैठते हैं।'' यद्यपि हिन्दी ने स्वतंत्रता आन्दोलन और मजदूर आन्दोलन से लोगों को एक सूत्र में पिरोया था तथापि वह किसी विशिष्ट प्रदेश में बँधी भाषा नहीं है। यह अखिल भारतीय तथा अन्तर्प्रान्तीय भावाना का प्रतिनिधित्व करती है। यह उसका दायित्व और विशेषता दोनों है। हिन्दी बहता नीर है और राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता से युक्त भी। इसीलिए प्रो0 कृपाशंकर चौबे अपने लेख 'हिन्दी के विस्तार में है अन्य भाषाओं का हित' में कहते हैं कि ''हिन्दी ने राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया। उसे यह भी बोध रहा कि भारत का विकास और राष्ट्रीय एकता की रक्षा, प्रादेशिक भाषाओं के पूर्ण विकास से ही संभव है। हिन्दी में वह शक्ति है कि वह अपने माध्यम से भारत को जोड़ सके। हिन्दी को अपना स्थान अभी भी हासिल करना है उसे इस मिथ्या धारणा को तोड़ना है कि विकास की भाषा तो अंग्रेजी ही है।'' इसी प्रकार 'शिक्षा का माध्यम और मातृभाषाएँ, राष्ट्रभाषा अंग्रेजी नहीं, हिन्दी' विषय पर अपने अध्यक्षीय उदबोधन में महात्मा गाँधी ने राष्ट्रभाषा पर विचार करते हुए उसके अग्रांकित लक्ष्ण बताये थे–1–वह भाषा सरकारी नौकरों के लिए आसान होनी चाहिए। 2–उस भाषा के द्वारा भारत का आपसी धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक कामकाज शक्य होना चाहिए। 3–उस भाषा को भारत के ज्यादातर लोग बोलते हों।4–वह भाषा राष्ट्र के लिए आसान होनी चाहिए। 5–उस भाषा का विचार करते समय क्षणिक या अस्थायी स्थिति पर जोर न दिया जाय।

उपरोक्त समस्त लक्षणों पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि ये सभी लक्षण हिन्दी में ही हैं, न किसी अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा में और न ही अन्य भारतीय भाषाओं में। डॉ0पी0एन0ा पाण्डेय 'वणक्कम् हिन्दी' में कहते हैं कि ''भारत विविधताओं का देश है। रूप, रंग, संस्कृति, भाषा, बोलियाँ यहाँ अलग–अलग परिधान में वसुधा की आरती उतारती आ रही हैं किन्तु समग्रता में हिन्दी भाषा हमारी 'अपनी' पहचान है। हम देश के किसी भी कोने में चले जायें वहाँ हिन्दी किसी

न किसी रूप में हमसे मिलती–जुलती और बात करती है। यह हिन्दी का विलक्षण आयाम है।'' 'हिन्दी को हिब्रू सा गौरव कब मिलेगा?' शीर्षक लेख में वरिष्ठ पत्रकार श्री हेमन्त शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि ''हमें हिन्दी को अपने गर्व की भाषा बनाना होगा। इसे राष्ट्र की भाषा बनाना होगा। हिन्दी जिस भी रोज राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर सुशोभित होगी, हमारा गर्व बन जायेगी। हम वास्तविक अर्थों में स्वतंत्र हो जायेंगे।'' अपनी व्यापकता और विविध स्वरूपों के होते हुए भी हिन्दी अपना स्वतः विकास कर रही है। अपने प्रयोक्ताओं की सामर्थ्य और अपनी अभिव्यक्ति क्षमता द्वारा, बिना किसी भाषा या बोली का विरोध किये बिना टकराव के। यही हिन्दी की वास्तविक ताकत है।

राष्ट्रभाषा के विकास में 'क्षेत्रीयता' तीसरी सबसे बड़ी समस्या है। स्वतन्त्रता के पश्चात् भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के कारण देश में क्षेत्रीयता की भावना बढ़ गयी। प्रत्येक अहिन्दी भाषी राज्यों में अपनी ही राजनीति चमकाने के प्रयासों ने भाषायी आन्दोलन का रूप ले लिया। द्रविड़ आन्दोलन व कन्नड़ आंदोलन इसके प्रमाण हैं। वर्तमान में स्थिति यह हो गयी है कि क्षेत्रीयता का प्रसार ही भाषाओं के आधार पर होने लगा है। परिणामस्वरूप जो भाषा विवाद स्वतंत्रता के बाद उभरे हैं, उनमें हिंसा भी होने लगी है। दक्षिण और पूर्वी प्रान्तों के जिन कांग्रेसी नेताओं ने सन् 1949 ई0 में हिन्दी को राजभाषा बनाने की वकालत की थी, वे ही इसके विरोध में आ गये। जबकि वास्तविकता यह है कि हिन्दी की बात तो राष्ट्रीय स्तर पर होती है, प्रादेशिक स्तर पर आप अपनी भाषा को बढ़ाने से किसने रोका है किसी को। इसका समाधान यही है कि ''राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी बढ़े और प्रांतीय स्तर पर क्षेत्रीय भाषाएँ बढ़ें। इसके बिना गुजारा नहीं है।'' क्षेत्रीयता के इस विवाद के समाधान हेतु प्रो0 कृपाशंकर चौबे का कथन अधिक प्रासंगिक है कि ''वास्तव में भारतीय भाषाओं के बीच पारस्परिक साझेदारी और आपसी संवेदना की ऐसी समझ का विकास होने पर अखिल भारतीय बोध का विस्तार होगा।.... आज अगर हिन्दी राजभाषा के दर्जे तक सीमित है तो शायद इसीलिए कि सभी भारतीय भाषाओं के लोग इस पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि वह राष्ट्रभाषा बने। यह समझने की जरूरत है कि हिन्दी का विस्तार और विकास ही अन्य भारतीय भाषाओं के हित में है।''

हिन्दी ने आज संचार माध्यम से अपना सम्बन्ध जोड़कर नई क्रान्ति ला दी है। इण्टरनेट पर हिन्दी में उपलब्ध बेवसाइट और ब्लॉग एक ओर सूचनाओं का भंडार हैं तो दूसरी ओर इनके उपयोग से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी की पहचान बन रही है। आज हिन्दी भाषा के लिए यूनीकोड का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। इसके माध्यम से हम अपना ई–मेल हिन्दी में भेज सकते हैं तथा प्राप्त भी कर सकते हैं यूनीकोड हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भूमण्डलीय के इस दौर में हिन्दी का राजभाषा के रूप में अत्यंत सुगमता से प्रयोग हो रहा है। विण्डो 2000 एवं उसके बाद के संस्करण वाले आपरेटिंग सिस्टमयुक्त कम्प्यूटरों में भाषा एनकोडिंग के अंतरराष्ट्रीय एवं भारतीय मानक नामतः यूनीकोड के अनुसार–हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में सभी तरह के दस्तावेज/फाइल तैयार करने की सुविधा अंतनिर्हित होती है। इन कम्प्यूटरों पर इस यूनीकोड समर्थित सुविधा को सक्रिय करते ही यूनीकोड समर्थित फॉण्ट् (मंगल) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयरों (वर्ड, एक्सेल, पावर प्वांइट) में प्रयोग के लिए उपलब्ध हो जाता है। इस फॉण्ट् को प्रयोग करने से हम फॉण्ट्स इन्कॅम्पैटविलिटी से जुड़ी तमाम समस्याओं से तो बचते ही हैं,सामान्य खोज, इण्टरनेट खोज आदि सुविधाएँ भी अंग्रेजी भाषा की सुविधाओं की भाँति ही हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं तथा आप प्रयोग किए गए

फॉण्ट् की परवाह किए बिना ई–मेल भेज सकते हैं और अपनी बेवसाइट पर हिन्दी सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज इण्टरनेट पर हिन्दी के अनेक ब्लॉग, पोर्टल और साइड उपलब्ध हैं। इनमें जहाँ एक ओर सूचना और मनोरंजन का भंडार है वहीं दूसरी ओर ये व्यावसायिक गतिविधियों और दैनिक जीवन से जुड़ी चीजों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हिन्दी बैव पब्लिशिंग की शक्ति का नया प्रमाण ब्लॉग के माध्यम से ही सामने आ रहा है। इन उपकरणों को विन्डोज या लीनक्स सिस्टम में स्थापित किया जा सकता है। इसमें उपलब्ध सुविधाओं में हिन्दी के टू टाइप फॉण्ट्स का बोर्ड ड्राइवर मल्टीफॉन्ट की बोर्ड इंजन, यूनीकोड आधारित ओपन टाइप फॉन्ट्स हिन्दी में फायरफाक्स ब्राउजर, ओ0सी0आर0 शब्द वर्तनी संशोधक, शब्दानुवाद टूल, टेक्स्ट टू स्पीच प्रणाली आदि प्रमुख हैं। यह इस बात का प्रमाण हैं कि हिन्दी ने मल्टीमीडिया से जुड़कर अपना रास्ता खुद बनाया है। पुस्तक प्रकाशन में पहले लेटरप्रेस की कंपोजिंग में बार बार प्रयोग किए जाने पर अक्षर घिस/टूट जाते थे जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता था परंतु आज कम्प्यूटर क्रांति के कारण हम इतना आगे आ गए हैं कि पुस्तक प्रकाशन में पांडुलिपि से सीधे पुस्तक तक पहुँच रहे हैं। हाल में ही सी–डेक, माड्यूलर, इन्फोटेक, साइबर स्केप, मल्टीमीडिया लि0, आई0आई0टी0 के सहयोग से भारत सरकार के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अधुनातन हिन्दी सॉफ्टवेयर उपकरण महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में आया है।

हिन्दी में इण्टरनेट सुविधा को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं–इनमें रूपा, सुचिता, अंकुर, आकृति ऑफिस, अक्षर का विंडोज, ए0पी0एस0, चित्रलेखा, विंकी आदि प्रमुख हैं। देवबेस, अक्षर, शब्दरत्न, सुलिपि आदि सॉफ्टवेयर डॉस वातावरण में कार्य करते हुए केवल हिन्दी और अंग्रेजी में शब्द–संसाधन की सुविधा प्रदान करते हैं। यह सुखद आश्चर्य है कि जैसे– जैसे वैश्वीकरण बढ़ रहा है वैसे–वैसे हिन्दी अपने आप बढ़ती जा रही है। आज इण्टरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे हिन्दी को पंख लग गए हैं।

छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने आज से कई वर्षों पूर्व हिन्दी को लेकर एक स्वप्न देखा था जिसमें हिन्दी की कल्पना विश्व की सांस्कृतिक भाषा के रूप में की गई थी। पंत जी ने कहा था कि''भविष्य में आने वाली हिन्दी नवीन चेतना की सांस्कृतिक भाषा होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हिन्दी में जो ध्वनि संगीत है, जो शान्ति की सूक्ष्म झंकार परिव्याप्त है, जो पवित्रता है, वह बेजोड़ है। भविष्य में सस्कृति का जो नवीन संचारण होगा, उसे हिन्दी अपने में समाहित करेगी। आने वाले युग की संस्कृति में जिन गुणों का समावेश होगा, वे गंभीर व्यापक और उच्च स्तर के होंगे। इस नवीन संस्कृति को व्यक्त करने के लिए हिन्दी भाषा झरने की तरह फूट निकलेगी मुझे विश्वास है कि एक दिन आएगा, जब विश्व की सांस्कृतिक भाषा हिन्दी होगी।''

और आज सही अर्थों में पंत जी का वह सपना साकार हो रहा है। विश्व में हिन्दी को न केवल सांस्कृतिक भाषा के रूप में देखा जा रहा है अपितु वैश्वीकरण और बाजारवाद की भाषा के रूप में हिन्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है। विश्व के हर कोने में हिन्दी ने जो अपने चरण बढ़ाये हैं, उन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि अब हिन्दी विशाल वटवृक्ष का रूप धारण कर चुकी है। अब हिन्दी अपार संभावनाओं का क्षेत्र हो गई है। मीडिया, प्रकाशन, मंच संचालन, लेखन, धर्म प्रवचन, अध्यापन, विज्ञापन, कम्प्यूटर टंकण, भाषा वैज्ञानिक, हिन्दी अधिकारी जैसे अनेक मार्ग हिन्दी जानने वालों के लिए खुले हुए हैं। हिन्दी का यह

खुला हुआ मार्ग सही अर्थों में भारतीयता का मार्ग है।

संदर्भ सूची

1. द्विवेदी महावीर प्रसाद, हिन्दी भाषा, वाणी प्राकशन, नई दिल्ली, 2003
2. पी.आर. निवास शास्त्री, कर्नाटक में हिन्दी प्रचार की गतिविधियाँ, कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बैंगलोर, 1998
3. एन. वेंकटेश्वर, संपादक, दक्षिण में हिन्दी प्रचार आन्दोलन का इतिहास, ऑफसेट डिविजन, 1994
4. शर्मा रामविलास– भाषा और समाज– राजकमल प्रकाशन, प्रा.लि. 1 बी नेता जी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली–110002, तीसरा संस्करण–1989
5. शर्मा रामविलास–ऐतिहासिक भाषा विज्ञान और हिन्दी भाषा–राजकमल प्रा.लि. 1 बी नेता जी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली–110002, प्र. सं.–2001
6. सांकृत्यायन राहुल–राष्ट्रभाषा हिन्दी–राधाकृष्ण प्रकाशन, जी–17, जगतपुरी दिल्ली–110051, प्र. संस्करण–2002, आवृत्ति–2004
7. द्विवेदी महावीर प्रसाद–हिन्दी भाषा –वाणी प्रकाशन–21 ए दरियागंज, नई दिल्ली 110002, संस्करण–1995
8. गोपी कृष्ण राठी, मधुकर, गोवर्धन शर्मा–राष्ट्रभाषा हिन्दी–रूपा बुक्स प्रा.लि. एस–12 शापिंक काम्पलेक्स तिलक नगर जयपुर–302004, प्र.सं.–1995
9. मृगेश मणिक, राजभाषा की प्रवृतियाँ, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006
10. मुले, गुणाकर शर्मा, सुभाष, मिश्र, देवेन्द्र (सं.), हिन्दी भाषाः विविध आयाम, साहित्य संसद, नई दिल्ली, 2006
11. Mangalam Kumar, S. Mohan, India's Languages Crisis An introductory study. New Century, Book House, Madras, 1965
12. दुबे मालती– वैश्विक परिपेक्ष्य में हिन्दी, पार्श्व प्रकाशन, अहमदाबाद,प्राक्कथन, 1992,1999
13. मलिक मोहम्मद, राष्ट्रभाषा विकास के विविध आयाम, प्रवीण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002
14. भट्ट मोहनलाल, (प्रकाशक), रजत जयंती ग्रंथ, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा, 1962